



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

अवैध शराब के कारोबार में लिप्त दो वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक श्री आर. पी. सिंह द्वारा जनपद में अपराधों की घटनाओं को गम्भीरता से लेते हुए एवम् अपराध नियंत्रण हेतु जनपद पुलिस को घटनाओं को रोकने व वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त निर्देश के क्रम में थाना रेउसा पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 44/21 धारा 60 Ex Act व 467/468/471/420 भा.द.वि. में वांछित अभियुक्त 1.अवधेश वर्मा पुत्र रामलोटन वर्मा निवासी ग्राम देवियापुर थाना सदरपुर जनपद सीतापुर 2.सुनील गोश्वामी पुत्र रामनरेश निवासी ग्राम अमावा चौराहा थाना मिल एरिया जनपद रायबरेली को अवैध शराब बिक्री के 42,000/- रू0 के साथ गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया। अभियुक्तगण की संपत्ति का पता लगाकर अपराध से अर्जित संपत्ति जब्त करने की कार्यवाही की जायेगी। जनपद में अपराध एवम् अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही निरंतर इसी प्रकार चलती रहेगी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम/पता-

- अवधेश वर्मा पुत्र रामलोटन वर्मा निवासी ग्राम देवियापुर थाना सदरपुर जनपद सीतापुर
- सुनील गोश्वामी पुत्र रामनरेश निवासी ग्राम अमावा चौराहा थाना मिल एरिया जनपद रायबरेली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना रेउसा :-

1. उ0नि0 प्रदीप कुमार
2. हे0का0 दीपक वर्मा
3. हे0का0 कृपाशंकर सिंह
4. का0 नूर आलम

थाना रेउसा जनपद सीतापुर

ना रेउसा पद सीतापुर

1. अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ
2. जोब लखनऊ - 3454400140
3. आई.ओ. रेल - 3454400103
4. पुलिस अधीक्षक-37A - 3454400389
5. ड.ए. (उत्तरी) - 3454401116
6. ड.ओ. बिसवा - 3454401525
7. ड.ओ. रेउसा - 3454404242

